नोटः– राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्गों (क्रीमीलेयर एवं नॉन क्रीमीलेयर)/ अति पिछड़ा वर्गों (क्रीमीलेयर एवं नॉन क्रीमीलेयर)/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

6. **विभिन्न वर्गों (Various Categories) के प्रमाण–पत्र के सन्दर्भ में** :–

i. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में आरक्षण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी किया गया जाति प्रमाण–पत्र (Caste Certificate) प्रस्तुत करना होगा।

ii. दिव्यांगजन की श्रेणी में आने वाले आवेदकों को राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मांगे जाने पर अपनी निःशक्तता के संबंध में समुचित सरकार (Appropriate Government) द्वारा प्राधिकृत प्रमाणन प्राधिकारी (Authorized Certifying Authority) द्वारा विहित प्रारूप में जारी निःशक्तता प्रमाण–पत्र (Certificate of Disability) प्रस्तुत करना होगा। इस संबंध में प्रवृत्त सुसंगत नियमों के अनुसार निःशक्तता प्रमाण–पत्र धारक आवेदक ही दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों के विरूद्ध चयन एवं नियुक्ति के लिए पात्र माना जायेगा।

iii. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी की दशा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी किया गया प्रमाण–पत्र (Certificate) प्रस्तुत करना होगा।

iv. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला अभ्यर्थी को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास स्थान के आधार पर विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।

v. अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थी को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।

vi. विधवा महिला अभ्यर्थी के मामले में उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अपने पति की मृत्यु का प्रमाण–पत्र (Death Certificate) प्रस्तुत करना होगा तथा विच्छिन्न विवाह महिला अभ्यर्थी के मामले में उसे विवाह विच्छेद (Divorce) का प्रमाण (Proof) प्रस्तुत करना होगा।

7. **न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (Minimum Academic Qualification)**:–

1. कोई भी अभ्यर्थी सेवा में भर्ती के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत में विधि द्वारा स्थापित तथा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन इस रूप में मान्य किसी भी विश्वविद्यालय की विधि स्नातक (व्यावसायिक) की उपाधि धारित ना करता हो।
(No Candidate shall be eligible for recruitment to the service unless he holds a degree of Bachelor of Laws (Professional) of any University established by Law in India and recognised as such under the Advocates Act, 1961)

2. प्रत्येक अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिन्दी भाषा तथा राजस्थानी बोलियों एवं सामाजिक रूढ़ियों (रीति–रिवाज) का गहन ज्ञान होना चाहिए।
(Every candidate must possess a thorough knowledge of Hindi Written in Devnagari script and Rajasthani dialects and social customs of Rajasthan.)

नोटः– विधि स्नातक (व्यावसायिक) के अंतिम वर्ष/अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका या सम्मिलित हो रहा, आवेदक भी आवेदन करने के लिए पात्र है। ऐसे आवेदक को वांछित शैक्षणिक योग्यता मुख्य लिखित परीक्षा से पूर्व धारित करनी होगी और उसका प्रमाण (Proof) मुख्य लिखित परीक्षा होने के 07 दिवस के भीतर रजिस्ट्रार (परीक्षा), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

Note:- Person who has appeared or is appearing in final year/ final semester of LL.B. (Professional), shall be eligible to apply for the post. Such candidate has to acquire the requisite educational qualification before Main Examination and proof thereof has to be submitted to the office of Registrar (Examination), Rajasthan High Court, Jodhpur, within 07 days of holding of Main Examination.

8. **शारीरिक उपयुक्तता (Physical Fitness)** :–

किसी व्यक्ति को सेवा के सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह अच्छे मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य से युक्त ना हो तथा ऐसे किसी दोष से मुक्त ना हो जिससे सेवा के सदस्य के रूप में उसके कर्त्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा आने की संभावना हो। भर्ती प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित किसी भी आवेदक को सेवा में नियुक्ति नहीं दी जायेगी जब तक कि वह सरकार द्वारा अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त (FIT) ना पाया गया हो।

9. **राष्ट्रीयता (Nationality)**:–

सेवा में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए।

22.7.21

(A candidate for appointment to the service must be a citizen of India.)

10. **आयु (Age)**:–
आवेदक 1 जनवरी, 2022 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर चुका होना चाहिए; **लेकिन** :–

1. राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं महिला आवेदकों के मामले में ऊपरी आयु सीमा को 5 वर्ष तक शिथिल किया जायेगा।
2. दिव्यांगजन (Persons with Benchmark Disabilities) के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट, उसी प्रकार अनुज्ञेय होगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर राज्य में लागू हो।

***नोटः–*उपरोक्त आयु सीमा में शिथिलता केवल एक श्रेणी हेतु ही अनुज्ञेय होगी।**

स्पष्टीकरणः– अन्तिम बार, वर्ष 2018 में सिविल न्यायाधीश संवर्ग हेतु जारी विज्ञापन में आयु सीमा की गणना 01.01.2020 के आधार पर की गई थी तथा इस विज्ञापन द्वारा आयोजित की जा रही परीक्षा हेतु आयु सीमा की गणना दिनांक 01.01.2022 के आधार पर की जा रही है। अतः ऐसे आवेदक जो अपनी आयु सीमा की दृष्टि से दिनांक 01.01.2021 को उक्त परीक्षा में बैठने हेतु पात्र होते, वे इस परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए आयु सीमा की दृष्टि से पात्र हैं।

11. **चरित्र (Character)** :–सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे सेवा में नियोजन के लिए अर्हित (Qualify) करे। अभ्यर्थी को:–

(i) एक सच्चरित्रता प्रमाण–पत्र (Good Character Certificate), जो उस विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या विद्यालय, जिसमें उसने अन्तिम बार अध्ययन किया है, के प्रधानाचार्य/अकादमी अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, प्रस्तुत करना होगा एवं

(ii) दो सच्चरित्रता प्रमाण–पत्र, जो आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से 6 माह से अधिक पूर्व के लिखे हुए न हों, ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रस्तुत करने होंगे, जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या विद्यालय से सम्बन्धित ना हों एवं उसके सम्बन्धी ना हों।

12. **परीक्षा शुल्क (Examination Fee)**:–

उक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु आवेदक द्वारा निम्न राशि परीक्षा शुल्क के रूप में देय होगी:–

सामान्य वर्ग / अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर श्रेणी) /अति पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर श्रेणी)/अन्य राज्य के आवेदक	राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी) /अति पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी)/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के आवेदक/ दिव्यांगजन
रूपये 1000/–	750/–	रूपये 500/–

13. **परीक्षा शुल्क की वापसी (Refund of Examination Fee)**:–

परीक्षा शुल्क की वापसी से सम्बन्धित किसी दावे (Claim) पर विचार नहीं किया जायेगा और न ही परीक्षा शुल्क को किसी अन्य परीक्षा हेतु आरक्षित किया जायेगा, जब तक कि आवेदक को परीक्षा में प्रवेश की अनुमति न दी गई हो।

14. **नियुक्ति के लिए निरर्हताऐं (Disqualifications for Appointment)**:–
कोई भी व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिये या सेवा में बने रहने के लिए योग्य (Qualified) नहीं होगाः–

(क) यदि उसके एक से अधिक जीवित पति या पत्नी है।
(ख) यदि वह किसी उच्च न्यायालय, सरकार या सांविधिक निकाय (Statutory Body) या स्थानीय प्राधिकारी (Local Authority) द्वारा सेवा से पदच्युत किया गया (Dismissed) या हटाया गया (Removed) है।
(ग) यदि वह नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया था या किया गया है (If he was or is convicted for any offence involving moral turpitude) या किसी भी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित होने से किसी उच्च न्यायालय या संघ लोक सेवा आयोग या किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा स्थायी रूप से विवर्जित (Debarred) या निरर्हित (Disqualified) किया गया है।
(घ) यदि उसे अधिवक्ता रहते हुए अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम, 25) या तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन वृत्तिका अवचार (Professional Misconduct) का दोषी पाया गया हो।
(ङ) यदि राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 के प्रारम्भ की तारीख को/के पश्चात् उसके दो से अधिक संतान (Children) हो :

22.7.21

परन्तु किसी आवेदक को, जिसके दो से अधिक संतान (Children) है, नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा जब तक कि उसकी संतानों की संख्या में, जो इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख को है, कोई बढ़ोतरी (Increase) नहीं होती है :

परन्तु यह और कि जहां किसी आवेदक के पूर्ववर्ती प्रसव (Earlier Delivery) से केवल एक ही संतान है किन्तु किसी पश्चात्वर्ती एकल प्रसव (Single Subsequent Delivery) से उसके एक से अधिक सन्तान पैदा हो जाती है, वहां सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई सन्तानों को एक इकाई (Entity) समझा जायेगा।

परन्तु यह भी कि किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्तता से ग्रस्त हो:

परन्तु यह और भी कि ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है, जो किसी विधि के विरूद्ध नहीं है और वह ऐसे किसी पुनर्विवाह से पूर्व इस उप–नियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं है तो उसे निरर्हित नहीं किया जायेगा, यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो।

स्पष्टीकरण:–इस खण्ड के प्रयोजन के लिए, इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से 280 दिन के भीतर पैदा हुई सन्तान निरर्हता का गठन नहीं करेगी (Shall not Constitute Disqualification)।

नोट:– राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 दिनांक 19.01.2010 को लागू (Commence) हुए हैं।

(च) यदि वह अपने विवाह के समय दहेज (Dowry) स्वीकार कर चुका है या करता है।

स्पष्टीकरण:– इस खण्ड में शब्द "दहेज" का वही अर्थ होगा जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम 26) में समनुदिष्ट (Assign) किया गया है।

15. **परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम (Scheme & Syllabus of Examination)**:–

(1) The competitive examination for the recruitment to the post of Civil Judge shall be conducted in two stages i.e. Preliminary Examination and Main Examination. The marks obtained in the Preliminary Examination by the candidate who are declared qualified for admission to the Main Examination will not be counted for determining final merit.

(2) The number of candidate to be admitted to the Main Examination will be fifteen times the total number of vacancies (category-wise) but in the said range all those candidates who secure the same percentage of marks on the last cut-off will be admitted to the Main Examination.

Note:- To qualify for Main Examination, the candidates of SC/ST category shall have to secure minimum 40% marks and candidates of all other categories shall have to secure 45% minimum marks in the Preliminary Examination.

(3) The number of candidates to be admitted to the interview shall be, as far as practicable, three times the total number of vacancies category-wise :

Provided that to qualify for interview, a candidate shall have to secure a minimum of 35% marks in each of the law papers and 40% marks in aggregate in the Main Examination;

Provided further that a candidate belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe category, shall be deemed to be eligible for Interview, if he has obtained minimum of 30% marks in each of the law papers and 35% marks in the aggregate in the Main Examination.

(4) It shall be compulsory to appear, in each and every paper of written test, as also before the Interview Board for viva voce. A candidate, who has failed to appear in any of the written paper or before the board for viva voce shall not be recommended for appointment.

(5) The examination scheme for recruitment to the cadre of Civil Judge shall consist of :-

I. Preliminary Examination (Objective Type)
II. Main Examination (Subjective Type)
III. Interview

I. **Preliminary Examination:-** The Preliminary Examination shall be an objective type examination in which 70% weightage will be given to the subjects prescribed in syllabus for Law Paper-I and Law Paper-II, and 30% weightage shall be given to test proficiency in Hindi and English language. The maximum marks for Preliminary Examination shall be 100 in which number of questions to be asked shall also be 100. However, there shall be no negative marking for wrong answers in Preliminary Examination. The Preliminary Examination shall be conducted on OMR Answer Sheets. The duration of Preliminary Examination shall be of 2 hours. The marks obtained in the Preliminary Examination shall not be counted for determining final merit.

Syllabus for Preliminary Examination

1. **Law :** Same as prescribed for Law Paper I & II for Main Examination.
2. **Hindi Proficiency :**
   i. शब्द रचना : सन्धि एवं सन्धि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय।

22.7.21